न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 7/2015(75 राज0 भू राजस्व अधिनियम) (R.C.M.S . no 2015/00030)

1. शांतिस्वरूप पुत्र बाबूलाल (मृतक)
   1/1 कैलाशचंद } पुत्रान स्व0 शांतिस्वरूप जाति वैश्य नि0 गीता मंदिर
   1/2 हरीओम } के पास पाईबाग भरतपुर ।
2. विनोद कुमार } पुत्रान लक्ष्मणस्वरूप जाति वैश्य नि0 पाईबाग
3. दिनेश कुमार } भरतपुर।
4. राजकुमार }
5. मोहित पुत्र स्व0 संजय कुमार पुत्र लक्ष्मणस्वरूप } जाति वैश्य निवासी पाईबाग
6. श्रीमती ममता वेवा स्व0 संजय कुमार } भरतपुर।

.........अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर।.

.... रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 18.7.2014 उनवानी शांतिस्वरूप बनाम सरकार मुकदमा संख्या 17/2011 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

नि र्ण य

दिनांक: 16.5.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.7.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि गत आराजी खसरा नम्बर 515 रकबा 23 बीघा 19 विस्बा स्थित ग्राम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर एक बडा नम्बर था जिसके 3 बीघा 19 विस्बा के प्रार्थीगण व 4 बीघा के ललिता प्रसाद पुत्र मटरेलाल खातेदार थे। गत माप अनुसार प्रार्थीगण का रकबा 0.63 है0 तथा ललिता प्रसाद का रकबा 0.64 है0 बनता है। हाल सैटिलमेन्ट में इनसे नवीन खसरा नम्बर 489/0.75 है0 निर्मित कर इसमें ललिता प्रसाद का हिस्सा 4 बीघा

अंकित कर दिया है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा अंकित न करने से प्रार्थीगण का हिस्सा 0.11 है0 ही शेष रहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का रकबा गत के मुकाबले 0.63–0.11 =0.52 है0 कम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थीगण का रकबा गतानुसार मौजूद है। सैटिलमेन्ट विभाग से यह गणितीय व लिपिकीय भूल हुई है। जिसे धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार प्रार्थी का हाल खसरा नम्बर 489 का रकबा 1.27 है0 दर्ज कर उसमें प्रार्थीगण का रकबा 0.63 है0 दर्ज रिकार्ड किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने कथनों की ताईद में संबधित राजस्व रिकार्ड भी पेश किया गया। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2014 के जरिये प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपजिला कलक्टर को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी–वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 18.7.2014 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस को उनके साविक ख0नं0 515 रकबा 3 बीघा 19 विस्बा का नया नम्बर बनाते समय नया नम्बर ललिता प्रसाद की खातेदारी के खसरा नम्बर 515 मिन रकबा 4 बीघा को मिलाते हुये शामिल खातेदारी में खसरा नम्बर 489 रकबा 0.75 हैक्टेयर दिया है व ललिता प्रसाद का हिस्सा 4 बीघा स्पष्ट कर दिया है इस प्रकार वाकी हिस्सा मात्र 0.11 हैक्टेयर अपीलान्टस की खातेदारी में रह जाता है। प्रार्थीगण को 0.63 हैक्टेयर रकबा मिलना चाहिऐ था, जो मौजूदा रकबा में 0.52 है0 रकबा कम है। उक्त रकबा साविक खसरा नम्बर 515 के अन्य मिन नम्बरान के नये नम्बरान में ज्यादा दर्ज कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में होते हुये भी राजस्व अभिलेखों को सही नहीं किया। जबकि भू अभिलेख अधिकारी की यह आवश्यक जिम्मेदारी थी। तहत अदालत ने अन्य गलत तथ्यों को आधार बना कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। एक मिस्टेक क्लरीकल मिस्टेक की तारीफ में आती है जो धारा 136 एलआरएक्ट के अंतर्गत पोषणीय है। तहत अदालत ने जो न्यायिक दृष्टान्त का हवला दिया है वह इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश का पता अपीलान्ट को तत्समय नहीं चल सका था अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जरिये वकील दिनांक 20.11.2014 को हुई। तत्काल नकल की कार्यवाही की गई और दिनांक 15.12.2014 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद शुमार की जावे। सहुलियत की दृष्टि से पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्डाधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2014 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट के हिस्से के रकबे में 0.52 हैक्टेयर रकबा बढाया जाकर कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर खसरा नमबर 489 का दर्ज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2014 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष हाल नकल जमाबन्दी को ही पेश नहीं किया गया है। जिससे यह सुनिश्चत हो सके कि प्रार्थीगण का नाम आज भी राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 489 ग्राम झीलरा में बतौर सहखातेदार दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र पेश करने के अधिकारी है अथवा नहीं । इसके अलावा प्रार्थीगण ने गत खसरा नम्बर 515 का रकबा 23 बीघा 19 विस्बा होना बताया है परन्तु ऐसी किसी नकल जमाबन्दी को पेश नहीं किया गया जिससे गत खसरा नम्बर 515 का रकबा 23 बीघा 19 विस्बा दर्ज रिकार्ड हो। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 पर गत खसरा नम्बर 515 के रकबे का योगफल 29 बीघा 04 विस्बा है। पत्रावली पर ही उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्ती अनुसार गत 515 मिन से बनने वले हाल खसरा नम्बरों को दर्शित किया है। इस नकल मिलानक्षेत्रफल में भी गत खसरा नम्बर 515 के विभिन्न मिन नम्बरों का रकबे का योगफल भी 25 बीघा 14 विस्बा है। नकल मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 474/0.27 व 475/0.01 किता–2 रकबा 0.28 है0 को गत 515 मिन 1 बीघा से बनना दर्शित किया है, जो गत से 0.12 है0 अधिक है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 476/1.15 है0 गत 515 मिन/5.00 बीघा से 0.35 है0 अधिक दर्ज है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। उन्हौने ललिता प्रसाद पुत्र मटरे को (जो वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है) पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण ने अपने अन्य खातेदारी के रकबा जो गत 515 से निर्मित है, को स्पष्ट नहीं किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को प्रमाणित करने का भार दायित्व प्रार्थीगण पर है जिसे पूर्ण करने में प्रार्थीगण असफल रहे है। सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमीवेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.डी 1990 पृष्ठ 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि " Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation" सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। After close of normal settlement operation land records officer is empowered to try only pending dispute refered to him by settlement officials, After close of sttelement operations proper remedy for a person aggrieved to file a suit in competent revenue court. इसलिऐ तहत अदालत ने प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को पुष्ट करने हेतु वांछित रिकार्ड पेश नहीं करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है जो न्यायोचित रहता है। तहत अदालत के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत का आदेश दिनांक 18.7. 2014 यथावत रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश मुख्यतः अपीलान्ट की ओर से आवश्यक वांछित दस्तावेज / रिकार्ड प्रस्तुत न करने के अभाव में खारिज कर दिया गया है। जो वादी/प्रार्थीगण का दायित्व भी है। सैटिलमेन्ट समाप्ति को काफी लम्बा अर्सा हो चुका है । यह सुनिश्चित है कि यदि कोई खातेदार का बाद भूप्रबन्ध कार्यवाही रकबा गत के मुकाबले कम पाया जाता है तो वह 136 एल आर एक्ट के तहत उसको दुरूस्त कराने का अधिकारी है। क्यों कि भू प्रबन्ध विभाग को किसी भी रिकार्डेड खातेदार के रकबे को कम या वेशी करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के द्वारा वांछित रिकार्ड पेश न करने को आधार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट खारिज कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं रहता है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। तहत पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट के पटवार कागजात में कमी/वेशी रकबे की बाबत कोई तथ्यात्मक विवेचन किया जाना नहीं पाया जाता है। न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्ट के रकबे की कमीवेशी के संदर्भ में अपीलान्ट की ओर से वांछित दस्तावेजात पेश कराया जाकर पुनः जांच किया जाना न्यायोचित रहता है। ताकि रकबे की कमीवेशी स्पष्ट हो सके। लिहाज यह अपील पुनः जांच बाद दस्तावेज पूर्ति गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड योग्य ही रहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2019 निरस्त किया जाता है। उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपीलान्ट के कम हुये रकबे के संबध में नये सिरे से जांच कराया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें। अपीलान्ट को हिदायत दी जाती है कि वे तहत अदालत के समक्ष संबधित वांछित दस्तावेजों की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें क्यों कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official